न्यायालय समक्ष श्रीमान राजस्व मण्डल, कैम्प भोपाल, म.प्र.।

A. 2702-PBR/14

अपील कं. ............/2014

सुमित चंडोक आयु वयस्क,
पुत्र श्री पी.एस. चंडोक,
प्रोराईटर मेसर्स शिवा कन्स्टक्शन, सी– 09 चतुर्थ तल,
प्लेटिनम प्लाजा, टी.टी. नगर, भोपाल म.प्र. – अपीलार्थी

विरूद्ध

श्री प्रमोद श्रीवास्तव अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 13.8.14 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत। 13-8-14

1.श्रीमति शहनाज बी आयु वयस्क, पुत्री श्री भूरे खान,
निवासी – ग्राम बावडिया कलां,
2.श्री आर.के. ललवानी आयु वयस्क, पुत्र स्व. श्री के.सी. ललवानी,
निवासी – के–4/4, विन्डसर हिल्स,
चूनाभट्टी, कोलार रोड़, भोपाल म.प्र. – प्रतिउत्तरदातागण

अपील अंतर्गत धारा 44 (2) म.प्र. भू – राजस्व संहिता 1959

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर सुमित / शहनाज

---

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 2702—पीबीआर / 14 जिला भोपाल

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 14—8—2014 | अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । आयुक्त के आदेश दिनांक 10—6—2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपीलार्थी की ओर से आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश दिनांक 10—6—2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 (2) के अंतर्गत तृतीय अपील प्रस्तुत की गई है । प्रथमतः संहिता की धारा 44 (2) के अंतर्गत द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है, द्वितीय संहिता की धारा 44 में तृतीय अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान नहीं है । अतः यह अपील विधि के प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अग्राहय की जाती है ।<br><br>(स्वदीप सिंह)<br>अध्यक्ष | |